

केंद्रीय एक्साइज के आयुक्त, चेन्नई-1

बनाम

चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

अप्रैल 19, 2007

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985;

अध्याय 27, 28 और 29- तेल रिफाइनरी- घोषित मानित गोदाम-नेप्था, सल्फर और बिजली का उत्पादन करने के लिए रिफाइनरी ईंधन तेल का उपयोग करना - उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा निजी रूप से उपभोग किया जाता है लेकिन उसका एक हिस्सा बेचा जाता है- आरएफओ पर शुल्क की मांग उठी - अभिनिर्धारित : ट्रिब्यूनल का विचार सही था कि नेप्था और सल्फर पेट्रोलियम उत्पाद हैं, निर्धारिती इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए आरएफओ के संबंध में छूट का हकदार था - इसी तरह निर्धारिती निजी रूप से उपभोग की गई बिजली के संबंध में छूट का हकदार था - लेकिन बेची गई बिजली के हिस्से के संबंध में, अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के लिए आरएफओ पर शुल्क की मांग करने में राजस्व सही था। उस सीमा तक निर्णायक प्राधिकारी शुल्क राशि को नए सिरे से निर्धारित करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 11-ए- इयूटी के बकाया के लिए सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करना- केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी - घोषित मानित गोदाम - बिजली उत्पन्न करने के लिए रिफाइनरी ईंधन तेल का उपयोग करना, जिसका एक हिस्सा बेचा जाता है - राजस्व शुल्क के बकाया की मांग करते हुए अवधि दिसंबर, 1993 से जुलाई, 1998 तक कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.12.1998 को जारी किया। अभिनिर्धारित निर्धारिती की ओर से कोई दमन नहीं किया गया था - सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में राजस्व सही नहीं था - मांग सीमा से परे है।

निर्धारिती, एक रिफाइनरी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है "मानित गोदाम", प्रयुक्त रिफाइनरी ईंधन तेल, यानी कच्चे तेल के आसवन के बाद बचा हुआ अवशेष पेट्रोलियम उत्पादों, अर्थात् नेप्था, सल्फर और बिजली के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 27, 28 और 29 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार उत्पन्न बिजली का बड़ा हिस्सा निजी रूप से उपभोग किया गया, और इसका एक हिस्सा तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेच दिया गया। राजस्व के अनुसार इनमें से कोई भी उत्पाद, अर्थात् नेप्था, सल्फर और बिजली पेट्रोलियम उत्पाद नहीं थे और इसलिए, रिफाइनरी शुल्क का

भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। इसी के अनुरूप बकाया भुगतान की मांग उठाई गई कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.12.1998 के तहत 1993 से जुलाई 1998 की अवधि के लिए और कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.7.1999 के तहत अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के लिए शुल्क। ट्रिब्यूनल ने आंशिक रूप से निर्धारिती के पक्ष में और आंशिक रूप से राजस्व के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने वर्तमान अपीलों और क्रॉस अपीलों को जन्म दिया।

मामलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. ट्रिब्यूनल ने सही माना कि नेप्था और सल्फर पेट्रोलियम उत्पाद हैं और इसलिए, निर्धारिती जो "मानित गोदाम" था, उस अवधि के दौरान नेप्था और सल्फर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरएफओ के संबंध में छूट का हकदार था। नतीजतन, नेप्था और सल्फर के निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किए गए आरएफओ पर शुल्क की मांग करने वाला 22 दिसंबर, 1998 का कारण बताओ नोटिस धारणीय नहीं है [पैरा 4 और 5) (325-एफ-एच)

1.2. जहां तक आरएफओ से निर्धारिती द्वारा उत्पादित बिजली और तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेची गई बिजली का संबंध है, राजस्व द्वारा आरएफओ पर शुल्क की मांग करना सही था। रिफाइनरी को "मानित गोदाम" का दर्जा देने के पीछे का उद्देश्य आरएफओ को छूट प्रदान करना है

जिसका उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। मानित गोदाम का दर्जा इससे प्राप्त अंतिम उत्पाद के साथ सांठगांठ की मांग करता है। बिजली का उत्पादन, यदि निजी तौर पर उपभोग किया जाता है, को शुल्क से छूट दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिफाइनरी में उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग रिफाइनरी के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, उत्पन्न बिजली का एक हिस्सा तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेचा जाता है। अकेले उस हद तक, विभाग आरएफओ पर शुल्क की मांग करने में सही था। (पैरा 6) (326-ए-डी)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, बड़ौदा, (2006) 202 ईएल टी 37 एससी, पर भरोसा किया।

2.1. जहां तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने वाले राजस्व का सवाल है, निर्धारिती भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। निर्धारिती की ओर से कोई दमन नहीं किया गया था और इसलिए, "दिसंबर 1993 से जुलाई 1998 की अवधि के लिए 22 दिसंबर, 1998 के कारण बताओ नोटिस के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में विभाग गलत था। उस विस्तार की मांग सीमा से परे है। [पैरा-7) [326-एफ-जी)

2.2. दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांक 17 फरवरी 1999 परिसीमा के अंतर्गत है। निर्धारिती बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरएफओ पर शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेचा गया था। इसके लिए पुनर्गणना की आवश्यकता होगी. तदनुसार, केवल उस सीमा तक, मामला अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा देय शुल्क राशि के नए निर्धारण के लिए निर्णायक प्राधिकारी को भेजा जा रहा है। [पैरा 8) [327-ए-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 318-322

अपील संख्या ई/000364/2000, ई/0000786/2001 ई/000787/2001, ई/ 001234/2001 और ई/0012345/2001 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के 2005 के अंतिम आदेश संख्या 63, 64, 65, 66 और 67 दिनांक 07.01.2005 से 2001 है।

संलग्न 2005 की सिविल अपील संख्या 4607 और 4639

वी. शेखर, नवीन प्रकाश, तुफैल ए. खान, सुधीर कुमार. सजवान, प्रदीप दुबे, पी. परमेश्वरन और बी.के.प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।

वी. लक्ष्मीकुमारन, आलोक यादव और एम.पी. देवनाथ प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

कपाड़िया, जे.

1. सिविल अपीलों और क्रॉस सिविल अपीलों का उपरोक्त समूह विभाग और निर्धारिती, मैसर्स चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रमशः धारा 35 एल (बी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत दायर किया गया है।

2. निर्धारिती वर्ष 1969 से कच्चे तेल से नेप्था जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करता है। ये पेट्रोलियम उत्पाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 27, 28 और 29 के अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से, निर्धारिती एक रिफाइनरी है। यह रिफाइनरी ईंधन तेल (आरएफओ) का उपयोग करता है, जो उच्च दबाव भाप के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में बॉम्बे हाई क्रूड ऑयल के आसवन के बाद बचा हुआ अवशेष है। बदले में इसका उपयोग उनके सह-उत्पादन संयंत्र के लिए बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है जिसमें उच्च दबाव वाली भाप एक टरबाइन को चलाती है जो बिजली उत्पन्न करती है। उस बिजली का एक हिस्सा तमिलनाडु बिजली बोर्ड को आपूर्ति किया जाता है और इसका बड़ा हिस्सा निजी तौर पर उपभोग किया जाता है।

3. वर्तमान मामले में, हम निर्धारिती द्वारा उक्त आरएफओ से उनकी रिफाइनरी में उत्पादित तीन उत्पादों से संबद्ध हैं। तीन उत्पाद

नेप्था, सल्फर और बिजली हैं। निर्धारिती एक रिफाइनरी है। केंद्र सरकार द्वारा इसे "मानित गोदाम" घोषित किया गया है। आरएफओ वह सामग्री है जो रिफाइनरी में रहती है। उक्त आरएफओ को रिफाइनरी से नहीं हटाया गया है। यह एक अवशेष है जो रिफाइनरियों में स्तंभों के निचले भाग में रहता है। यह घोल की तरह है। विभाग के अनुसार, निर्धारिती, विभाग को यह घोषित करने में विफल रहा कि उक्त आरएफओ का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। विभाग के अनुसार, निर्धारिती, विभाग को यह घोषित करने में विफल रहा कि उत्पादित बिजली का एक हिस्सा तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेच दिया गया था। विभाग के अनुसार, सल्फर एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं था और इसलिए, जिस हद तक उक्त आरएफओ का उपयोग सल्फर का उत्पादन करने के लिए किया गया था, वह शुल्क योग्य था और इससे छूट नहीं थी। विभाग के अनुसार तीनों में से कोई भी उत्पाद, अर्थात्, नेप्था, सल्फर और बिजली पेट्रोलियम उत्पाद नहीं थे और इसलिए, रिफाइनरी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। विभाग के अनुसार, रिफाइनरी एक "मानित गोदाम" थी, लेकिन उपरोक्त तीन उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद नहीं थे और इसलिए, निर्धारिती शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार, निर्धारिती से दिसंबर 1993 से जुलाई 1998 की अवधि और अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के लिए बकाया शुल्क का भुगतान करने की मांग की गई थी। अवलोकनीय है कि दिसंबर 1993 से जुलाई 1998 की

अवधि (पांच वर्ष) दिनांक 22 दिसंबर, 1998 को कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत आयी, जबकि अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि कारण बताओ नोटिस दिनांक 17 फरवरी, 1999 के अंतर्गत आई। नतीजतन, वर्तमान मामले में, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या विभाग 22 दिसंबर, 1998 के कारण बताओ नोटिस के साथ धारा 11 ए के तहत परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने का हकदार था। हालांकि दिनांक 17.02.1999 के कारण बताओ नोटिस के मामले में वह प्रश्न नहीं उठा क्योंकि मांग परिसीमन की अवधि के अंतर्गत थी।

4. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आक्षेपित फैसले में व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं, जिसके द्वारा यह माना गया है कि नेप्था एक पेट्रोलियम उत्पाद है और इसलिए, निर्धारिती जो "मानित गोदाम" था उपरोक्त अवधि के दौरान नेप्था के उत्पादन के लिए प्रयुक्त आरएफओ के संबंध में छूट का हकदार था। इसलिए, इस हद तक, निर्धारिती सफल होता है। इस हद तक, 22 दिसंबर, 1998 का कारण बताओ नोटिस विफल रहता है।

5. हम ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भी सहमत हैं कि आरएफओ पर उत्पादित सल्फर एक उप-उत्पाद है और परिणामस्वरूप, सल्फर के निर्माण के लिये निर्धारिती द्वारा उपयोग किये गए आरएफओ

पर शुल्क की माँग करने वाला कारण बताओ नोटिस दिनांकित 22.12.1998 पोषणीय नहीं है। इस संबंध में भी निर्धारिती सफल होता है।

6. हालाँकि, निर्धारिती आरएफओ से बिजली का उत्पादन करता है। वह बिजली तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेची जाती है। उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा निजी तौर पर उपभोग किया जाता है। पूरी उत्पादित बिजली बेची नहीं जाती। उत्पादित बिजली का एक हिस्सा बेच दिया जाता है। निर्धारिती की ओर से हमारे सामने जोरदार तर्क दिया गया कि रिफाइनरी एक "मानित गोदाम" थी और आरएफओ से रिफाइनरी में जो कुछ भी उत्पादित होता है वह छूट का हकदार था। दृढतापूर्वक आग्रह किया जाता है कि आरएफओ एक अवशेष है जो स्तम्भों के निचले भाग में रहता है। उस आरएफओ को रिफाइनरी से कभी नहीं हटाया गया। इसलिए, निर्धारिती बिजली उत्पादन में उपयोग किए गए आरएफओ के लिए भी कटौती का दावा करने का हकदार था। हमें इस तर्क में दम नहीं दिखता। निर्धारिती एक रिफाइनरी है। यह एक "मानित गोदाम" है। इसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह विवाद में नहीं है। रिफाइनरी को "मानित गोदाम" का दर्जा देने के पीछे का उद्देश्य आरएफओ को छूट प्रदान करना है जिसका उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह दर्जा उन उत्पादों के उत्पादन के लिए नहीं है जो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, मानित गोदाम स्थिति इससे प्राप्त अंतिम उत्पाद के साथ

संबंधित है। बिजली का उत्पादन, यदि निजी तौर पर उपभोग किया जाता है, को शुल्क से छूट दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिफाइनरी में उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग रिफाइनरी के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। रिफाइनरी में बड़ी संख्या में प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। प्रत्येक प्रक्रिया एक वस्तु उत्पन्न करती है और इसलिए, प्रत्येक रिफाइनरी को "मानित गोदाम" का दर्जा दिया जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, उत्पादित बिजली का एक हिस्सा तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेचा जाता है। केवल उस सीमा तक, विभाग आरएफओ पर शुल्क की मांग करने में सही था।

7. यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में सही था। इस संबंध में, हमारा विचार है कि निर्धारिती की ओर से कोई तथ्य छुपाया नहीं गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्धारिती एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। विभाग को पता था कि निर्धारिती एक रिफाइनरी है। विभाग को साइट पर जाने से किसी ने नहीं रोका। विभाग को नेप्था, सल्फर और बिजली के उत्पादन के मामले में रिफाइनरी के भीतर की प्रक्रिया की जांच करने से कोई नहीं रोक सका। रिफाइनरी को चलाने के लिए बिजली उत्पादन का भी उपयोग किया गया। बिजली की आपूर्ति

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (आंशिक रूप से) को की गई थी। इन परिस्थितियों में, निर्धारिती की ओर से कोई दमन नहीं किया गया था और इसलिए, हमारा विचार है कि विभाग दिसंबर 1993 से जुलाई 1998 की अवधि के लिए 22 दिसंबर, 1998 के कारण बताओ नोटिस के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में गलत था। उस विस्तार की मांग सीमा से परे है। निर्धारिती उस संबंध में सफल होता है।

8. दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांकित 17 फरवरी, 1999, परिसीमा के भीतर है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरएफओ पर अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के लिए शुल्क की मांग की गई है। हमने माना है कि आरएफओ से उत्पन्न बिजली, जो रिफाइनरी द्वारा निजी रूप से उपभोग की जाती थी, शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं थी। इस हद तक, 17 फरवरी 1999 को कारण बताओ नोटिस में की गई मांग विफल हो जाती है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आरएफओ से उत्पादित बिजली का एक हिस्सा अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि के दौरान तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेच दिया गया था। केवल उस सीमा तक, निर्धारिती शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए पुनर्गणना की आवश्यकता होगी। तदनुसार, केवल उस सीमा तक, मामला अगस्त 1998 से जनवरी 1999 की अवधि

के दौरान निर्धारिती द्वारा देय शुल्क राशि के नए निर्धारण के लिए निर्णय प्राधिकारी को भेजा जा रहा है।

9. हमारा यह भी विचार है कि निर्धारिती पर लगाया गया जुर्माना अनुचित था क्योंकि उसने नेपथा और सल्फर का उत्पादन किया है जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इसी तरह, निर्धारिती ने आरएफओ से बिजली का उत्पादन किया है, जिसका बड़ा हिस्सा निजी खपत के लिए इस्तेमाल किया गया है और एक छोटा हिस्सा तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बेचा गया है। इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि विभाग ने जुर्माना लगाकर गलती की है।

10. समापन से पहले, हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, बड़ौदा, (2006) 202 ईएलटी 37 एस.सी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले से नीचे दिए गए पैराग्राफ 12 और पैराग्राफ 13 को उद्धृत कर सकते हैं।

"12. इसके अलावा, गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि निर्धारिती छूट अधिसूचना संख्या 75/84 की प्रविष्टि 34 के संदर्भ में लाभ का हकदार होगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

| क्र.स. | माल का विवरण | शुल्क की दर | उपयोग का उद्देश्य/स्थिति |
|--------|---------------------|-------------|---|
| 34 | कम सल्फर भारी स्टॉक | शून्य | रिफाइनरी में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण- "रिफाइनरी" का अर्थ एक रिफाइनरी है जिसमें कच्चे पेट्रोलियम या शेल का शोधन या गैर-शुल्क भुगतान वाले पेट्रोलियम उत्पादों का मिश्रण किया जाता है। |

बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया है जो इस प्रकार है:

अधिसूचना संख्या 74/63-सी.ई., दिनांकित 18-5-63 @ 353/77-सी-ई, दिनांकित 16-12-77 के तहत रियायत की पात्रता।

F.No.3565-CX-3 दिनांक 16-9-67 में निहित बोर्ड के निर्देशों के अधिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन (बिजली एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में) इस प्रक्रिया में आकस्मिक है और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण अंतर्गत टी.आई. संख्या 6 से 11 एए अधिसूचना संख्या 352/77-सी.ई., दिनांकित 16-12-77 में निहित छूट, अधिसूचना संख्या

131/80-सी.ई., दिनांकित 23-8-80 द्वारा संशोधित और 41/82 सी.ई., दिनांकित 28-2-82 मध्यवर्ती उत्पाद विद्युत की मात्रा पर उपलब्ध होगी। हालाँकि, इस अधिसूचना में निहित छूट पेट्रोलियम उत्पादों की उस मात्रा पर उपलब्ध नहीं होगी जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, जिसका उपयोग बदले में पेट्रोलियम की प्रक्रिया और निर्माण में नहीं किया जाता है।"

[बल दिया गया]

13. कम सल्फर हेवी स्टॉक का उपयोग निर्धारिती द्वारा बिजली पैदा करने के लिए रिफाइनरी क्षेत्र के भीतर स्थित थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किया जाता है, जो बदले में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए निजी उपभोग किया जाता है। अधिसूचना संख्या 75/84 की प्रविष्टि संख्या 34 सपठित स्पष्टीकरण परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारिती एलएसएचएस पर उस सीमा तक छूट का लाभ पाने का हकदार होगा, जिसका उपयोग रिफाइनरी क्षेत्र के भीतर स्थित थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जो बदले में पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है।"

11. तदनुसार, उपरोक्त सिविल अपीलों और क्रॉस अपीलों का निपटान लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी देवेन्द्र प्रकाश शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।